98

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर कैम्प उज्जैन म.प्र.

R. 3412-I/14 निगरानी प्र.क्र. /2014

शाकीर पिता अकबरखाँ
आयु 45 वर्ष, धंधा कृषि,
निवासी ग्राम पंथमुण्डला तेह. व जिला
देवास -- निगरानीकर्ता

विरूद्ध

यासीन पिता अब्बास, जाति नायता
आयु 40 वर्ष, धंधा कृषि,
निवासी ग्राम पंथमुण्डलातेह. व जिला देवास
---प्रतिप्रार्थी

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू. रा. संहिता

माननीय महोदय,

प्रार्थी की ओर से सादर निवेदन है कि -

1. यह कि, प्रार्थी निवासी ग्राम पंथमुण्डला तेह. व जिला देवास का मूल निवासी होकर उसके स्वत्व, मालकी व कब्जे की पटवारी हल्का नं. 3/6 सर्वे नं. 357 रकबा 0.22 आरे भूमि प्रार्थी के स्वत्व मालकी एवं कब्जे की भूमि होकर पैत्रक संपत्ति होकर जिसपर लगभग 50-60 वर्षों से अकबरखाँ पिता मोतीखाँ कृषि करते चले आ रहे हैं। किन्तु अकबरखाँ 92 वर्ष के हो चुके है, इसलिये लगभग 30 वर्षों से उक्त कृषि खाते पर उनका पुत्र शाकीर कृषि करता चला आ रहा है वर्तमान मे उक्त भूमि पर सोयाबीन की फसल होकर पकने को खडी है।

2. यह कि, भू. रा. संहिता की धारा 129 के अंतर्गत सीमांकन रेवेन्यु सरक्यूलर व रेवेन्यू अधिकारी एवं अधिनस्थ न्यायालय को विधिवत ज्ञात है कि, किसी भी विवादित भूमि का सीमांकन 14 जून से नवम्बर के अंतिम दिनो तक कतई नही किया जा सकता। सीमांकन का विरोध राजस्व निरीक्षक द्वारा किया गया था, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 22.8.2014 को बारीश के मौसम मे सीमांकन का विरोध

..2पर

शाकीर

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3412-एक/14 जिला - देवास

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26.10.2018	आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसील न्यायालय के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 03.01.19 को कलेक्टर, जिला देवास के समक्ष उपस्थित हों। प्रशासकीय सदस्य	

Scanned by CamScanner